T2018015001 02102

न्यायालय उप जिलाधिकारी, मथुरा

वाद संख्या– 04 / 2018–2019

काका डालचन्द एजूकेशन सोसायटी,गढी रामबल भाग ओल,मथुरा द्वारा अध्यक्ष श्री अनिल कुमार बनाम सरकार

धारा 80 राजस्व संहिता 2006

मौजा ओल

नकल **आदेश**

प्रार्थी काका डालचन्द एजूकेशन सोसायटी,गढी रामबल भाग ओल, मथुरा द्वारा अध्यक्ष श्री अनिल कुमार पुत्र गिरवर सिंह निवासी गढी रामबल भाग ओल तहसील व जिला मथुरा के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दिनांक– 20.7.2018 में अंकित किया गया है कि वे मौजा ओल तहसील व जिला मथुरा की भूमि खाता संख्या–711 खसरा संख्या 1186मि. रकवा 0.759हे. भूराजस्व 19.50 रुपए के संक्रमणीय भूमिधर दर्ज कागजात है। उक्त भूमि मौके पर कृषि, बागवानी, पशुपालन, मत्स्यपालन व कुक्कुटपालन आदि के उपयोग में नहीं लायी जा रही है, को अकृषिक घोषित किये जाने की प्रार्थना की गई है। प्रार्थी व सहखातेदार द्वारा शपथ–पत्र दाखिल किये गये है।

उपरोक्त प्रार्थना–पत्र पर जॉचोपरान्त तहसीलदार, मथुरा द्वारा प्रस्तुत संस्तुति आख्या दिनांक–24.8.2017 में अकित किया गया है कि मौजा ओल तहसील व जिला मथुरा की भूमि खाता संख्या–711 खसरा संख्या 1186मि. रकवा 0.759हे. भूराजस्व 19.50 रुपए के काका डालचन्द एजूकेशन सोसायटी,गढी रामबल भाग ओल,मथुरा द्वारा अध्यक्ष श्री अनिल कुमार पुत्र गिरवर सिंह निवासी गढी रामबल भाग ओल तहसील व जिला मथुरा संक्रमणीय भूमिधर दर्ज कागजात है। प्रश्नगत भूमि मौके पर कृषि, बागवानी, मत्स्यपालन कुक्कुटपालन व पशुपालन आदि कृषि के प्रयोजन में नहीं लायी जा रही है। प्रश्नगत भूमि मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण, आवास विकास परिषद एवं किसी अन्य शासकीय विभाग द्वारा अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित नहीं है। प्रश्नगत भूमि में मौके पर स्कूल हेतु 12 कमरे, 2 लैट्रिन –बाथरुम बने हैं तथा दूसरी मंजिल पर निर्माण कार्य चल रहा है तथा पार्क, सडक, पार्किंग, बाउन्ड्रीवाल का निर्माण चल रहा है। मौके के फोटोग्राफ व नजरी नक्शा संलग्न है। तहसीलदार, मथुरा द्वारा प्रस्तावित भूमि को राजस्व संहिता 2006 की धारा 80 के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किये जाने की संस्तुति की गई हैं।

वाद दर्ज कर क्षेत्रीय लेखपाल श्री खचेरसिंह का सशपथ बयान दिनांक–29.8.2018 को दर्ज किया गया। तहसीलदार, मथुरा की आख्या दिनांक–24.8.2017 के अनुसार प्रश्नगत भूमि की कलेक्टर महोदय द्वारा कृषि भूमि हेतु निर्धारित सर्किल दर से मालियत 3036000/–हैं, जिसकी एक प्रतिशत धनराशि 30360/–तीस हजार तीन सौ साठ रुपए) भारतीय स्टेट बैंक, मथुरा में चालान संख्या 0700/01/HT 70730 दिनांक– 29.8.2018 को जमा को गई है।

अतः तहसीलदार, मथुरा की उक्त संस्तुति आख्या दिनांक–24.8.2017 के आधार पर मौजा ओल तहसील व जिला मथुरा की भूमि खाता संख्या–711 खसरा संख्या 1186मि. रकवा 0.759हे. भूराजस्व 19.50 रुपए को निम्नवत् अकृषिक घोषित/प्रख्यापित किया जाता है:–

ग्राम का नाम	खातेदार का नाम बल्दियत व पता	खाता संख्या	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हे0)	भूराजस्व (रुपयों में)	अकृषिक उपयोग में लायी जाने वाली भूमि का विवरण			प्रयोजन/विशेष विवरण
						खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूराजस्व	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ओल तहसील व जिला मथुरा	काकाडालचन्दएजूकेशन सोसायटी,गढी रामबल भाग ओल, मथुरा द्वारा अध्यक्ष श्री अनिल कुमार पुत्र गिरवर सिंह निवासी गढी रामबल भाग ओल तहसील व जिला मथुरा	711	1186 मि.	0.759	19.50	1186मि.	0.759	19.50	अकृषिक घोषित
	योग	1	1	0.759हे.	19.50	1	0.759हे.	19.50	

यह भूमि फसली 1426 से भूराजस्व से मुक्त होगी तथा भूमिधर न्यागमन के विषय में उस व्यैक्तिक विधि से नियंत्रित होगा, जिसके वह अधीन है। तहसीलदार, मथुरा की उक्त आख्या आदेश का अंग होगी। विपरीत तथ्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त हो जायेगा। आदेश की एक–एक प्रति तहसीलदार, मथुरा व उप निबन्धक, मथुरा को अभिलेखों में पंजीकृत करने हेतु भेजी जावे। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर होवे।

(कान्ति शेखर सिंह)
उप जिलाधिकारी, मथुरा

दिनांक–

प्रतिलिपि तहसीलदार, मथुरा/उप निबन्धक, मथुरा को अभिलेखों में इन्द्राज कराने हेतु प्रेषित।

दिनांक 4/10/18

14– 4/10/18

4/10/18

4/10/18

(कान्ति शेखर सिंह)
उप जिलाधिकारी, मथुरा

न्यायालय : - उपजिलाधिकारी
मण्डल :आगरा , जनपद :मथुरा , तहसील :सदर
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T201801500102102
वाद संख्या:- 02102/2018
काका डालचन्द एजुकेशन सोसायटी बनाम सरकार
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अंतर्गत धारा:- 80
" अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 01/10/2018

आदेश

प्रार्थी काका डालचन्द एजूकेशन सोसायटी,गढी रामबल भाग ओल, मथ्ुरा द्वारा अध्यक्ष श्री अनिल कुमार पुत्र गिरवर सिंह निवासी गढी रामबल भाग ओल तहसील व जिला मथ्ुरा के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र दिनांक- 20.7.2018 में अंकित किया गया है कि वे मौजा ओल तहसील व जिला मथुरा की भूमि खाता संख्या-711 खसरा संख्या 1186मि. रकवा 0.759हे. भूराजस्व 19.50 रुपए के संक्रमणीय भूमिधर दर्ज कागजात है। उक्त भूमि मौके पर कृषि, वागवानी, पशुपालन, मत्स्यपालन व कुक्कुटपालन आदि के उपयोग में नहीं लायी जा रही है, को अकृषिक घोषित किये जाने की प्रार्थना की गई है। प्रार्थी व सहखातेदार द्वारा शपथ-पत्र दाखिल किये गये है।

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र पर जाँचोपरान्त तहसीलदार, मथुरा द्वारा प्रस्तुत संस्तुति आख्या दिनांक-24.8.2017 में अंकित किया गया है कि मौजा ओल तहसील व जिला मथुरा की भूमि खाता संख्या-711 खसरा संख्या 1186मि. रकवा 0.759हे. भूराजस्व 19.50 रुपए के काका डालचन्द एजूकेशन सोसायटी,गढी रामबल भाग ओल,मथ्ुरा द्वारा अध्यक्ष श्री अनिल कुमार पुत्र गिरवर सिंह निवासी गढी रामबल भाग ओल तहसील व जिला मथ्ुरा संक्रमणीय भूमिधर दर्ज कागजात है। प्रश्नगत भूमि मौके पर कृषि, बागवानी, मत्स्यपालन कुक्कुटपालन व पशुपालन आदि कृषि के प्रयोजन में नहीं लायी जा रही है। प्रश्नगत भूमि मथ्ुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण, आवास विकास परिषद एवं किसी अन्य शासकीय विभाग द्वारा अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित नहीं है। प्रश्नगत भूमि में मौके पर स्कूल हेतु 12 कमरे, 2 लैट्रिन -बाथरुम बने हैं तथा दूसरी मंजिल पर निर्माण कार्य चल रहा है तथा पार्क, सडक, पार्किंग, वाउन्ड्रीवाल का निर्माण चल रहा है। मौके के फोटोग्राफ व नजरी नक्शा संलग्न है। तहसीलदार, मथ्ुरा द्वारा प्रस्तावित भूमि को राजस्व सहिंता 2006 की धारा 80 के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किये जाने की संस्तुति की गई हैं।

वाद दर्ज कर क्षेत्रीय लेखपाल श्री खचेरसिंह का सशपथ बयान दिनांक-29.8.2018 को दर्ज किया गया। तहसीलदार, मथुरा की आख्या दिनांक-24.8.2017 के अनुसार प्रश्नगत भूमि की कलेक्टर महोदय द्वारा कृषि भूमि हेतु निर्धारित सर्किल दर से मालियत 3036000/-हैं, जिसकी एक प्रतिशत धनराशि 30360/- तीस हजार तीन सौ साठ रुपए) भारतीय स्टेट बैंक, मथुरा में चालान संख्या 0700/01/भ्ज् 70730 दिनांक- 29.8.2018 को जमा की गई है।

अतः तहसीलदार, मथ्ुरा की उक्त संस्तुति आख्या दिनांक-24.8.2017 के आधार पर मौजा ओल तहसील व जिला मथुरा की भूमि खाता संख्या-711 खसरा संख्या 1186मि. रकवा 0.759हे. भूराजस्व 19.50 रुपए को निम्नवत् अकृषिक घोषित/प्रख्यापित किया जाता है:-

ग्राम का

नाम खातेदार का नाम बल्दियत व पता खाता

संख्या खसरा

संख्या

क्षेत्रफल

(हे0) भूराजस्व

(रुपयों में) अकृषिक उपयोग में लायी

जाने वाली भूमि का विवरण प्रयोजन

/विशेष

विवरण

खसरा संख्या क्षेत्रफल भूराजस्व

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ओल तहसील व जिला मथुरा काकाडालचन्दएजूकेशन सोसायटी,गढी रामबल भाग ओल, मथ्ुरा द्वारा अध्यक्ष श्री अनिल कुमार पुत्र गिरवर सिंह निवासी गढी रामबल भाग ओल तहसील व जिला मथ्ुरा 711 1186 मि. 0.759

19.50

1186मि. 0.759

19.50

अकृषिक घोषित

योग 1 1 0.759हे. 19.50 1 0.759हे. 19.50

यह भूमि फसली 1426 से भूराजस्व से मुक्त होगी तथा भूमिधर न्यागमन के विषय में उस व्यैक्तिक विधि से नियंत्रित होगा, जिसके वह अधीन है। तहसीलदार, मथुरा की उक्त आख्या आदेश का अंग होगी। विपरीत तथ्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त हो जायेगा। आदेश की एक-एक प्रति तहसीलदार, मथ्ुरा व उप निबन्धक, मथ्ुरा को अभिलेखों में पंजीकृत करने हेतु भेजी जावे। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर होवे।

(क्रान्ति शेखर सिंह)

दिनांक- उप जिलाधिकारी, मथ्ुरा

प्रतिलिपि तहसीलदार, मथ्ुरा/उप निबन्धक, मथ्ुरा को अभिलेखों में इन्द्राज कराने हेतु प्रेषित।

(क्रान्ति शेखर सिंह)

दिनांक- उप जिलाधिकारी, मथ्ुरा

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS), में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"